सूचना का अधिकार / महत्वपूर्ण

संख्या: 256 / xxxi (13)G/2009-18(1)2010

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 05 मई, ~~अप्रैल~~, 2010

विषयः— सूचना का अधिकार के अन्तर्गत अपीलों का निस्तारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्याः अ—2273 / 2010 श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम् लोक सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, देहरादून में पारित निर्णय दिनांक 11 / 3 / 2010 के बिन्दु—06 (संलग्न—छाया प्रति) की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपीलीय अधिकारी के रुप में आपके कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालय यथा—उप जिलाधिकारी कार्यालय में वर्ष 2009—10 में योजित कुल प्रथम विभागीय अपीलों एवं उनके तिथिवार निस्तारण से सम्बन्धित विवरण शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न— यथोपरि।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : अ–2273 / 2010

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

समक्ष आर.एस.टोलिया, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, 104, ईश्वर विहार, फेस–2, रायपुर रोड, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी : 1. लोक सूचना अधिकारी / जिला सूचना अधिकारी, देहरादून

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / जिला अधिकारी, देहरादून

आदेश

अपीलकर्ता / प्रार्थी श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, द्वारा लोक सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी देहरादून, से अपने मूल अनुरोधपत्र दिनांक 17/08/09 के माध्यम से 6 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है :

1.1 जिलाधिकारी कार्यालय के स्टाफ द्वारा वर्ष 2009 में किये गये कार्यबहिस्कारों एवम् हडतालो की अवधि की मय तारीखों की जानकारी दें.

1.2 जिलाधिकारी कार्यालय का जो स्टाफ हाल ही में हडताल पर रहा है, उसकी सूची मय नाम, मय पद, मय पटल के नाम सहित उलब्ध करायें.

1.3 कार्यबहिष्कार व हडताल के दौरान जिन कर्मचारियों ने अवकाश का प्रार्थना पत्र दिया है उनकी सूची उपलब्ध करायें.

1.4 कार्यबहिष्कार एवम् हडताल के दौरान जिन कर्मचारियों ने ड्यूटी नही की है, उन कर्मचारियों की ड्यूटी न करने की अवधि के दौरान का वेतन काटने के बारे में तय की गई नीति की जानकारी दें.

1.5 कार्यबहिष्कार व हडताल की अवधि का वेतन हडताली कर्मचारियों को वित्त विभाग के जिस नियम के तहत दिया जा सकता है, उसकी छायाप्रति दें.

1.6 तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को बढावा देने वाले विज्ञापनो पर रोक के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेठी द्वारा.

(a) कृत कार्यवाही का ब्यौरा दें.

(b) समाचार पत्रों व चैनलो को जारी निर्देशों/पत्रों की छायाप्रति दें.

2. उपरोक्त अनुरोध के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध नही करायी गयी, जिस कारण अपीलकर्ता/प्रार्थी द्वारा दिनांक 03/10/09 को प्रथम विभागीय अपील अधिकारी/ जिला

अधिकारी देहरादून, के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 09/10/09 के माध्यम से अपील का निस्तारण किया गया, उक्त निस्तारण से संतुष्ट न होने पर, अपीलकर्ता/प्रार्थी द्वारा दिनांक 29/12/ 2009 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी.

अपीलकर्ता / प्रार्थी स्वयं उपस्थित हैं. लोक सूचना अधिकारी, स्वयं और विभागीय अपीलीय अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित हैं. उनके द्वारा लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये गये जिन्हें पत्रावली का भाग बनाया गया.

उभय पक्षों को सुना गया. अपीलकर्ता / प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 6 A और 6 B के संबंध में आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है. यह निर्विवादित है कि बिन्दु संख्या 6 A के सापेक्ष लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता / प्रार्थी को आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत होने तक अनुमन्य सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है. उपरोक्त आधार पर व अभिलेखों के अवलोकन उपरांत लोक सूचना अधिकारी को भविष्य के लिए सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि 6 A के संबंध में जो भी तथ्यात्मक सूचना हो उसे अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा यदि सूचना अंतिम नहीं हुयी हो तब अपीलकर्ता / प्रार्थी को यह स्पष्ट किया जायेगा कि कार्यवाही गतिमान है और अभी अंतिम नहीं हुयी है. बिन्दु संख्या 6 B की सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के उपरांत अपीलकर्ता / प्रार्थी को प्राप्त हो चुकी हैं.

5. अपीलकर्ता / प्रार्थी द्वारा आयोग को यह अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) अंतर्गत प्रथम विभागीय अपीलों की सुनवाई नियमानुसार नहीं की जा रही है. उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी, देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि जिस तिथि को जिलाधिकारी द्वारा अपने यहाँ विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत न्यायालय की कार्यवाही की जाती है उनमें सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) अंतर्गत प्राप्त अपीलों को भी सूचीबद्ध करते हुए उन पर सुनवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाये.

6. इस आदेश की एक प्रति सचिव, सामान्य प्रशासन को भी इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि उनके द्वारा समस्त जिलाधिकारियों, दोनों मण्डलायुक्तों, समस्त उपजिलाधिकारियों और समस्त तहसीलदारों को कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से निर्देशित किया जायेगा कि जिस प्रकार उनके द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत वादों / अपीलों पर सुनवाई होती है, वादों की सार्वजनिक वाद सूची (Cause List) नोटिस बोर्ड पर समय अंकित करते हुए प्रदर्शित की जाती, उसी प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) अंतर्गत अपीलों को भी सूचीबद्ध कर उन पर भी नियमानुसार प्रथम अपील के रूप में सुनवाई की जाये.

7. जिस सीमा तक जिलाधिकारी, देहरादून को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त अपीलों पर सुनवाई किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है उस सीमा तक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है.

आदेश की प्रति उभय पक्षों को प्रेषित हो.

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित.